राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –52/2025 निगरानी

1. श्रीमती दाखी गुर्जर पत्नी भागू गुर्जर निवासी मीयापलास का खेडा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. हीरा गुर्जर पुत्र रेमता गुर्जर निवासी सुरगटी, पंचायत उमरी तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत उमरी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत उमरी, पंचायत समिति करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

–गैर निगराकार

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश व संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 के तहत ग्राम पंचायत उमरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 37 जो दिनांक 07.03.2018 से जारी के निरस्तीकरण हेतु

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल वैद अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

निगराकार की ओर से निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता के पैतृक भवन ग्राम सुरगटी, पंचायत क्षेत्र उमरी में स्थित है, जो पुश्तैनी होकर 50 वर्षों से अधिक पुराने गृह का प्रत्यर्थी हीरा पिता रेमता गुर्जर के पक्ष में जरिए मिसल संख्या 204/2013–14 के विनिश्चय के तहत संकल्प संख्या 01 दिनांक 05/03/2018 को पट्टा संख्या 37 जारी किया गया है। जबकी यह प्रार्थी की पैतृक संपदा है और विपक्षी हीरा की संपदा नहीं होते हुए भी उसके पक्ष में जारी किया गया। उक्त पट्टा आवासीय भूमि का पट्टा नियम 157(1) के तहत प्रारूप–23 क किसी भी कार्यवाही से जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पटटे में उत्तर दिशा का जो पड़ौस दर्शाया गया है, वह पैतृक मकान प्रत्यर्थी हीरा का ही है लेकिन उक्त पडौस के छदम से हीरा ने अपना पुश्तैनी होने के तथ्य को छिपाकर अपने भाई सुवा पिता रेमता गुर्जर का दर्शाया गया। पुनरीक्षणकर्ता के स्वर्गीय पिता

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जेराम पिता किशना गुर्जर के नर संतान नहीं है एवं उसकी नैसर्गिक पुत्री जो पुनरीक्षणकर्ता है एवं वही जेराम गुर्जर की एकमात्र वारिस होकर उसी का ग्राम सुरगटी में स्थित आवासींय भवन पर कब्जा व दखल होकर उसी का ताला कुंची लगा हुआ है एवं साधिकार काबिज है, जिसे सम्पूर्ण ग्रामवासी सुरगटी बखूबी जानते है। पंचायत कोरम ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रत्यर्थी हीरा को अवैध रूप से आवासीय भवन हथियाने के लिए गलत तौर से कपटपूर्वक पट्टा अपने पक्ष में बनवाया है। जैराम गुर्जर की मृत्यु 25 वर्ष पूर्व हो जाने से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी हक की आराजियात को विरासत में पत्नी केसी व केसी के देहांत 22 वर्ष पूर्व हो जाने से तन्हा वारिस पुनरीक्षणकर्ता दाखी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा ग्राम सुरगटी में स्थित अपनी पैतृक आवासीय भवन को 50 वर्षों से भी अधिक पुराना भवन होने से दिनांक 07.10.2022 को ग्राम पंचायत उमरी में सनद पट्टा प्राप्त करने के आवेदन शुल्क 120/– रूपए की रसीद पंचायत द्वारा जारी की गई। तदुपरांत कई बार पुनरीक्षणकर्ता जो वृद्ध महिला होकर पंचायत से अनुनय विनय किया, परन्तु उसके पक्ष में पत्रावली संधारित न करके ग्राम विकास अधिकारी ने दिनांक 02/06/2023 को उक्त भवन का आवासीय भूमि का पट्टा पंचायत द्वारा हीरा पिता रेमता गुर्जर के पक्ष में जारी करने के बारे में बताया फिर पुनरीक्षणकर्ता ने पंचायत में पत्रावली संख्या 204 वर्ष 2013–14 के विनिश्चय की प्रति नहीं देकर पटटे की प्रमाणित प्रति जारी की गई। तब पटटा प्राप्त करने पर दिनांक 07.03.2018 को पट्टा संबंधित गलत कार्यवाही हो जाने की जानकारी दिनांक 02/06/2023 को हुई। इससे पूर्व पुनरीक्षणकर्ता को कोई जानकारी नहीं थी। पंचायत पत्रावली संख्या 204 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश प्रति प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराई बल्कि आवासीय भवन के पट्टा विलेख पट्टा संख्या 37 दिनांक 07.03.2018 को जारी किया, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाने से कानूनी नुक्स को रफा करने के दृष्टिकोण से पुनरीक्षण याचिका के साथ शपथपत्र प्रस्तुत है। निवेदन है कि ग्राम पंचायत उमरी द्वारा पत्रावली संख्या 204 वर्ष 2013–14 में पारित विनिश्चय संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 एवं जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.03.2018 को निरस्त किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 बावजूद सूचना के लगातार अनुपस्थित हैं। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व एक

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता के पैतृक भवन ग्राम सुरगटी, पंचायत क्षेत्र उमरी में स्थित है, जो पुश्तैनी होकर 50 वर्षों से अधिक पुराने गृह का प्रत्यर्थी हीरा पिता रेमता गुर्जर के पक्ष में जरिए मिसल संख्या 204/2013–14 के विनिश्चय के तहत संकल्प संख्या 01 दिनांक 05/03/2018 को पट्टा संख्या 37 जारी किया गया है। जबकी यह प्रार्थी की पैतृक संपदा है और विपक्षी हीरा की संपदा नहीं होते हुए भी उसके पक्ष में जारी किया गया। उक्त पट्टा आवासीय भूमि का पट्टा नियम 157(1) के तहत प्रारूप–23 क किसी भी कार्यवाही से जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। पटटे में उत्तर दिशा का जो पड़ौस दर्शाया गया है, वह पैतृक मकान प्रत्यर्थी हीरा का ही है लेकिन उक्त पडौस के छदम से हीरा ने अपना पुश्तैनी होने के तथ्य को छिपाकर अपने भाई सुवा पिता रेमता गुर्जर का दर्शाया गया। पुनरीक्षणकर्ता के स्वर्गीय पिता जेराम पिता किशना गुर्जर के नर संतान नहीं है एवं उसकी नैसर्गिक पुत्री जो पुनरीक्षणकर्ता है एवं वही जेराम गुर्जर की एकमात्र वारिस होकर उसी का ग्राम सुरगटी में स्थित आवासींय भवन पर कब्जा व दखल होकर उसी का ताला कुंची लगा हुआ है एवं साधिकार काबिज है। पंचायत कोरम ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रत्यर्थी हीरा को अवैध रूप से आवासीय भवन हथियाने के लिए गलत तौर से कपटपूर्वक पट्टा अपने पक्ष में बनवाया है। पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा ग्राम सुरगटी में स्थित अपनी पैतृक आवासीय भवन को 50 वर्षों से भी अधिक पुराना भवन होने से दिनांक 07.10.2022 को ग्राम पंचायत उमरी में सनद पट्टा प्राप्त करने के आवेदन शुल्क 120/– रूपए की रसीद पंचायत द्वारा जारी की गई। तदुपरांत कई बार पुनरीक्षणकर्ता जो वृद्ध महिला होकर पंचायत से अनुनय विनय किया, परन्तु उसके पक्ष में पत्रावली संधारित न करके ग्राम विकास अधिकारी ने दिनांक 02/06/2023 को उक्त भवन का आवासीय भूमि का पट्टा पंचायत द्वारा हीरा पिता रेमता गुर्जर के पक्ष में जारी करने के बारे में बताया। निवेदन है कि ग्राम पंचायत उमरी द्वारा पत्रावली संख्या 204 वर्ष 2013–14 में पारित विनिश्चय संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.03.2018 एवं जारी किया गया पट्टा दिनांक 07.03.2018 को निरस्त किए जाने की आज्ञा प्रदान की जावें। निगराकार अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2020(2) सीजे(सिवि.)(राज.) ललित कुमार बनाम स्टेट ऑफ राज. व अन्य पेश किये।

8.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 2018 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 05 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। प्रश्नगत पटटे वाले भूखण्ड पर ही स्वयं के कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों के साथ मिसल पत्रावली की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की गयी। ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा अत्यधिक मियाद बाधित पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत उमरी पंचायत समिति करेडा तहसील करेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा